राजस्थान–सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 41/2021

1–रमगढ़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड जरिये व्यवस्थापक अजय कुमार पुत्र श्री प्रकाशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी भारत्रीनगर सेक्टर नम्बर–2 धौलपुर

..............वादी

बनाम

1–ममता देवी पत्नी रामवीर सिंह जाति लोधा (लोधी) निवासी ग्राम निधेरा खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर राज0
2–तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

...........प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए.
वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थिति – 1–श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट ....(वादी)

निर्णय दिनांक 07.07.2022

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते विवादित आराजी खसरा नम्बर 1340/475 रकवा 0.0632 हैक्टेयर वाकेग्राम निधेराखुर्द तहसील सैपऊ का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या–1 स्वयं उपस्थित। गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 24.02.2022 को दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एंव प्रतिवादी के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड में दर्ज हिस्सो के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांकःराजस्व/2022/एस.पी.एल.–1 दिनांक 05.05.2022 विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें । विद्वान वादी अभिभाशक को सुना गया तथा विद्वान अभिभाषक द्वारा मुताविक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है । ऐसी स्थिति में दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

अतः आदेश है कि दावा मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम निधेराखुर्द पटवार हल्का निधेराखुर्द तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :—

1—रमगढ़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड जरिये व्यवस्थापक अजय कुमार पुत्र प्रकाशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी शास्त्रीनगर सेक्टर नम्बर—2 धौलपुर हिस्सा पूर्ण

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	1340 / 475 / 1	0.0379	चाही अलिफ
योग	किता— 1	0.0379 हैक्टेयर	

2—ममता देवी पत्नी रामवीर सिंह जाति लोधा सा0 देह खातेदार हिस्सा पूर्ण

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	1340 / 475 / 2	0.0253	चाही अलिफ
योग	किता— 1	0.0253 हैक्टेयर	

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक—पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे । एवं उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह एक—दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व दफा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलक्टर
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

राजस्थान–सरकार

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उप जिला कलक्टर सैपऊ
व इजलास –ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 41/2021

1–रमगढ़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड़ जरिये व्यवस्थापक अजय कुमार पुत्र श्री प्रकाशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी शास्त्रीनगर सेक्टर नम्बर–2 धौलपुर

..............वादी

बनाम

1–ममता देवी पत्नी रामवीर सिंह जाति लोधा (लोधी) निवासी ग्राम निधेरा खुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर राज0
2–तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

...........प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. वास्ते बटवारा काश्त एवं स्थाई निशेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ ललित मीना (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायलह ....को पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है एवं दावा मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम निधेराखुर्द पटवार हल्का निधेराखुर्द तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–रमगढ़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड जरिये व्यवस्थापक अजय कुमार पुत्र प्रकाशचन्द जाति ब्राह्मण निवासी शास्त्रीनगर सेक्टर नम्बर–2 धौलपुर हिस्सा पूर्ण

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	1340/475/1	0.0379	चाही अलिफ
योग	किता– 1	0.0379 हैक्टेयर	

2–ममता देवी पत्नी रामवीर सिंह जाति लोधा सा0 देह खातेदार हिस्सा पूर्ण

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म
1.	1340/475/2	0.0253	चाही अलिफ
योग	किता– 1	0.0253 हैक्टेयर	

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान का आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे । एवं उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह एक–दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया कर हस्व दफा दाखिल दफ्तर हो।

वशब्द मेरे एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07.07.2022 को जारी की गई।

(ललित मीना)
उप जिला कलक्टर,
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ